147

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 सर्किट कोर्ट
रीवा जिला रीवा म0प्र0

प्रकरण क्रमांक R-5433-दो/16

Rs. 20/-

R 5433 II/16

राजकुमार शर्मा पिता श्री भैयालाल शर्मा उम्र 26 वर्ष पेशा कृषि निवासी ग्राम बरौ तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0 ---- निगरानीकर्ता

विरूद्ध

प्रहलाद तनय रामकृपाल विश्वकर्मा उम्र 56 वर्ष पेशा कृषि श्रीमती पार्वती विश्वकर्मा पत्नी प्रहलाद विश्वकर्मा निवासी ग्राम बरौ तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0 --- प्रतिवादीगण

निगरानी विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0 दिनांक 22-08-16 जो सीमांकन प्रकरण कमांक 18एफ12 /15-16 में पारित किया गया ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959 ई0

अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र त्रिपाठी द्वारा पेश। 27-9-16

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1- यह कि प्रश्नाधीन आदेश विधि एवं प्रकिया के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

2- यह कि राजस्व निरीक्षक ने प्रश्नाधीन सीमांकन आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि सीमांकन में दावा / आपत्ति का समय दिया गया किन्तु किसी के द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई जब कि वास्तविक यह है कि निगरानी कर्ता द्वारा तहसीलदार महोदय, के समक्ष एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमानगढ के समक्ष एवं राजस्व निरीक्षक मण्डल हनुमान गढ के समक्ष तथा राजस्व निरीक्षक रामपुर नैकिन के समक्ष आपत्ति

राजकुमार शर्मा

(२)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक RS433-II/2016 जिला सीधी

राजकुमार शर्मा विरूद्ध प्रहलाद विश्वकर्मा

1	2	3
15-1-19	1. आवेदक की ओर से श्री शैलेन्द्र त्रिपाठी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~तहसीलदार~~/ नायब तहसीलदार तहसील रामपुर नैकिन के प्रकरण क्रमांक 18 अ-12/15-16 में पारित आदेश दिनांक 22-08-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 25-03-19 को कलेक्टर सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।	
	सदस्य	